कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राव): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के उत्पादन विवरण से पता चलता है कि कोयला आधारित तापीय विद्युत गृह में पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि की तुलना में अप्रैल, 98 से जनवरी, 99 की अवधि के दौरान उत्पादन में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार औसत पी॰एल॰एफ॰ में 63.3 प्रतिशत से 63.6 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति, दी गई परेषिती हेतु देय राशि के केवल अग्रिम भुगतान के एवज में करने का निर्णय लिया गया है। इससे "कैश एण्ड कैरी" आधार पर की जाने वाली अपेक्षित आपूर्ति से संबंधित सरकार के निर्णय को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। राज्य विद्युत बोर्डों/संबद्ध राज्य सरकारों को इस पद्धति के अनुपालन करने के संबंध में अनुरोध किया जा रहा है। पुरानी देय राशि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए अधिनिर्णायकों की नियुक्ति की गई है तथा भविष्य में विवादों से बचने के लिए कोल इंडिया लि॰ ने विद्युत उपयोगिताओं को यह कहा है कि वे कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार करें जिसमें भुगतान संबंधी शर्तों का स्पष्ट प्रावधान हो।

कोयला संयंत्रों का कार्यकरण

1552. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न कोयला संयंत्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कोयला संयंत्र का कार्य निष्पादन क्या रहा है;

(ग) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय गबन के बारे में कोई जांच-पड़ताल की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राव): (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य कोयला रख-रखाव संयंत्र (सीएचपी) के कार्य निष्पादन के संबंध में सूचना मांग रहे हैं, जिसके मामले में उत्तर हां में हैं। इस संबंध में ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान कोल इंडिया लि. की कोयला रख-रखाव संयंत्रों की कंपनी-वार स्थिति (वाशरी सहित)

क्र.सं.	विवरण	ईकोलि	भाकोकोमि	सेकोलि	नाकोलि	वेकोलि	साईकोलि	मकोलि	कोईलि
1.	मुख्य सीएचपी की सं.	10	5	10	7	25	21	4	82
2.	प्रचालन क्षमता (मिटप्रव) (31.3.96 की स्थिति के अनुसार)	20.33	2.56	8.68	30.00	21.72	33.59	10.41	127.29
3.	मुख्य सीएचपी से अनुरक्षित कोयले की मात्रा (मि.ट.) (अप्रैल 95 से मार्च 96)	9.837	0.903	5.187	20.025	21.037	41.802	10.807	109.598
4.	लघु सीएचपी से अनुरक्षित कोयले की मात्रा (मि.ट.) (अप्रैल 95 से मार्च 96)	3.122	8.565	8.637	0.566	3.430	8.233	19.507	52.060
5.	वाशरी के माध्यम से अनुरक्षित कोयले की मात्रा (मि.ट.) (अप्रैल 95 से मार्च 96)	-	7.403	8.636	-	0.695	-	-	16.784
6.	सीएचपी और वाशरी के माध्यम से अनुरक्षित कोयले रखरखाव की कुल मात्रा (अप्रैल 95 से मार्च 96) (मि.ट.)	12.959	16.871	22.510	20.591	25.162	50.035	30.314	178.442

क्र.सं.	विवरण	ईकोलि	भाकोकोमि	सेकोलि	नाकोलि	वेकोलि	साईकोलि	मकोलि	कोईलि
7.	कोयले का उत्पादन	27.804	27.813	30.728	35.203	29.004	53.177	32.702	236.431
8.	सीएचपी और वाशरियों की अनुरक्षित कोयले के रख-रखाव की प्रतिशतता (अप्रैल 95 से मार्च 96)	46.608	60.659	73.256	58.492	86.754	94.091	92.698	75.473
9.	1995-96 के दौरान निर्मित अतिरिक्त क्षमता (मि.ट.)	3.00	3.20	1.50	7.20	1.00	1.21	4.00	21.11
10.	1995-96 के अंत में कुल रख-रखाव क्षमता (मि.टि.)	25.01	38.11	35.69	32.50	27.66	42.13	31.41	232.51
	वर्ष 1996-97 के दौरान कोल इंडिया लि॰ की कोयला रख-रखाव संयंत्रों की कंपनी-वार स्थिति (वाशरी सहित)								
1.	मुख्य सीएचपी की सं॰ (1.4.97 की स्थिति के अनुसार)	10	3	10	7	27	22	5	84
2.	लघु सीएचपी की सं॰ (1.4.97 की स्थिति के अनुसार)	39	17	12	..	28	33	9	138
3.	कुल सीएचपी की सं॰ (1.4.97 की स्थिति के अनुसार)	49	20	22	7	55	55	14	222
4.	मुख्य सीएचपी की प्रचलन क्षमता (मि॰ ट॰ प्र॰ क॰) (1.4.96 क स्थिति के अनुसार)	17.12	2.57	8.88	27.80	21.73	34.26	11.41	123.76
5.	लघु सीएचपी की प्रचालन क्षमता (मि॰ ट॰ प्र॰ व) (1-4-96 की स्थिति के अनुसार)	4.68	19.69	12.50	0.00	4.74	8.57	20.00	70.18
6	वाशरियों की प्रचालन क्षमता	..	12.55	12.31	..	1.50	..	..	26.36
7.	सीएचपी और वाशरियों की कुल प्रचालन क्षमता (मि॰ट॰प्र॰क॰) 1-4-96 की स्थिति के अनुसार)	21.80	34.81	33.69	27.80	27.96	42.83	31.41	220.30
8.	वर्ष के दौरान जोड़ी जाने वाली लक्षित क्षमता	1.93	1.60	2.13	6.20	1.50	2.74	6.50	2.80
9.	वर्ष के दौरान जोड़ी गई क्षमता	3.00	2.10	2.26	0.00	1.50	3.74	6.00	14.40
10.	1.4.97 की स्थिति के अनुसार प्रचलन क्षमता	24.60	32.71	35.95	27.80	29.46	46.57	37.41	234.70

क्र.सं.	विवरण	ईकोलि	भाकोकोमि	सेकोलि	नाकोलि	वेकोलि	साईकोलि	मकोलि	कोईलि
11.	96-97 के दौरान कोयला रख-रखाव में कोयले की मात्रा	15.18	15.42	22.98	24.83	53.99	54.70	33.99	191.09
12.	1996-97 के दौरान वास्तविक उत्पादन	29.65	21.14	32.21	37.01	31.23	55.70	37.37	249.91
13.	1996-97 की अवधि के दौरान उत्पादन के रख-रखाव का प्रतिशत	51.20	56.82	71.34	67.09	76.82	98.92	90.96	76.46

वर्ष 1997-98 के दौरान कोल इंडिया लि॰ की कोयला रख-रखाव संयंत्रों की कंपनी-वार स्थिति(वाशरी सहित)

1.	मुख्य सीएचपी की सं॰ (31.3.98 की स्थिति के अनुसार)	10	2	11	8	30	22	4	87
2.	लघु सीएचपी की सं॰ (31.3.98 की स्थिति के अनुसार)	37	18	14	..	28	33	8	138
3.	कुल सीएचपी की सं॰ (31.3.98 की स्थिति के अनुसार)	47	20	25	8	58	55	12	225
4.	मुख्य सीएचपी की प्रचलन क्षमता (मि॰ ट॰ प्र॰ क॰) (1.4.97 की स्थिति के अनुसार)	20.12	2.06	8.88	27.80	23.22	32.26	11.41	125.75
5.	लघु सीएचपी की प्रचालन क्षमता (मि॰ ट॰ प्र॰ क॰) 1-4-97 की स्थिति के अनुसार	3.68	19.90	13.00	0.00	4.74	14.31	26.00	81.63
6	वाशरियों की प्रचालन क्षमता	..	10.75	14.07	..	1.50	..	..	26.32
7.	सीएचपी और वाशरियों की कुल प्रचालन क्षमता (मि॰ट॰प्र॰क॰) (1.4.97 की स्थिति के अनुसार)	23.8	3.71	35.95	27.60	29.46	46.57	37.41	233.70
8.	वर्ष के दौरान जोड़ी जाने वाली निवल क्षमता	00.06	0.36	1.13	6.90	5.61	0.00	0.29	13.51
9.	31.3.98 की स्थिति के अनुसार प्रचालन क्षमता	23.74	32.95	27.08	34.70	35.07	46.57	37.70	247.21
10.	मुख्य + लघु + वाशरी सीएचपी के माध्यम से कोयला रखरखाव (मि॰ट॰ में) (अप्रैल - मार्च, 98)	15.11	15.43	34.49	28.38	26.08	57.926	39.17	209.17

क्र.सं.	विवरण	ईकोलि	भाकोकोमि	सेकोलि	नाकोलि	वेकोलि	साईकोलि	मकोलि	कोईलि
11.	उत्पादन (मि.ट. में) (अप्रैल-मार्च, 98)	27.45	30.92	33.20	37.12	32.51	56.63	42.17	260.00
12.	97-98 की अवधि के दौरान रख-रखाव उत्पादन की प्रतिशत	57.23	49.90	73.77	76.45	86.31	102.29	92.89	80.45
13.	1996-97 की अवधि के दौरान उत्पादन के रख-रखाव का प्रतिशत	51.20	56.82	71.34	67.09	76.82	98.92	90.96	76.46

Revival plan for ECL

1533. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government of West Bengal has given a proposal to constitute a Joint Committee to monitor the working and revival of the Eastern Coalfields Limited;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the company officials did not attend the meeting of the Committee; and

(d) if so, the reasons therefore?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) to (c) A State Level Joint Monitoring Committee was set up by the Government of West Bengal on 24.12.98 under the Chairmanship of the Chief Secretary, West Bengal. In addition to the representatives of the Government of West Bengal, the Coal India Limited (CIL) and the Eastern Coalfields Limited (ECL) were represented in the Committee. Only one Trade Union was initially represented in the Committee. By an amendment effected on 30.1.99, the Government of West Bengal included five more Trade Unions in the Committee. Before constituting the Committee, the Government of West Bengal did not seek for the concurrence of Ministry of Coal. The composition of the Committee and not seek for the concurrence were decided solely by the Government of West Bengal without any consultation with the Ministry of Coal. The only meeting of the Committee held so far was on 11.2.99 and was attended by the Chairman, CIL, Director (Personnel), CIL and the Chairman-cum-Managing Director, ECL.

(d) Does not arise in view of answer given to parts (a) to (c) of the question.

Outstanding dues of power stations to Coal companies in Bihar

1554. SHRI ABANI ROY: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned, "Bihar faced with coal shortage crisis", as reported in Statesman dated 13th February, 1999;

(b) if so, whether coal companies in Bihar are claiming outstanding dues against various power stations in the State;

(c) if so, the total amount the coal companies are claiming from various power stations; and

(d) the steps taken by coal companies to recover the dues?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Yes, Sir. The Coal companies in Bihar i.e. BCCL, CCL and ECL are claiming approximately Rs. 536.28 crores (Provisional) as outstanding dues against various power stations in the State after making adjustment for power bill payable by coal companies to BSEB.

(d) Several rounds of discussions were held between the coal companies and the BSEB to sort out the disputes of outstanding coal sale dues and energy bills. It has been decided that past outstanding dues should be settled by 31.3.99 and the BSEB and coal companies would pay for current supply of coal and power respectively.

Revival strategy of Central Coalfields

1555. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the Minister of COAL be pleased to state the details of revival strategy prepared by the Central Coalfields?